

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त उच्च पाठ्यक्रम कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को भेजने से ही किया जाए न कि किसी अन्य अधिकारी को भेजने से। सम्बन्धित विभाग पर तदर्थ पूर्व में उच्च पाठ्यक्रम हुआ हो तो एक कक्षात्मक पूर्व विवेक प्रत्येक शिक्षक अपने विभागों सुनिश्चित करें।



नाम : कुलसचिव  
 दूरभाष : 6091 107511 2442601  
 (स्वालिप)  
 2442462 (विभाग)  
 फैक्स : (0091 073) 2341760  
 E-mail :  
 jvcg\_gw@rediffmail.com  
 Website :  
 http://www.jvuip.edu/

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय,  
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5585

दिनांक : 13/12/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (16) के निर्णयानुसार जीव महाविद्यालय, गुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत साहित्य, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.एस.सी. (आ.पा., रसायन, भौतिक, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित), बी.वॉर्मन, पाठ्यक्रम को लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. निम्न विषयों में 20(17) में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। उनकी नियुक्ति 02 माह में कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने लाइसेन्सियन, एपॉर्ट आफ्रीसर एक तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्ति भी परिचियम अनुसार तत्काल करें।
2. गन्नालय में रु. 25,000/- की मासिक पुरावों काय करें।
3. प्रयोगशालाओं को तत्काल स्थापित कर उसमें रु. 1,50,000/- को जये उपकरण काय करें।
4. जो नियुक्तियाँ 20(17) के अन्तर्गत हो चुकी हैं उनका अनुमोदन कार्यपरिषद् से करावें।
5. शारी निकाय की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।
6. शिक्षकों को वेतन बैंक/अथवा बैंक के माध्यम से करें।
7. परिचियम 27-28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार  
  
 कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, जीव महाविद्यालय, गुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंगल संभान, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/ओपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. आभिलक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)